

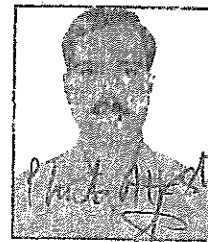
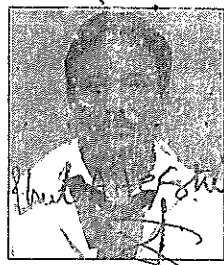
1/13828/14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 639537
05 AUG 2014

26675

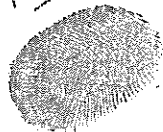


विक्रय मूल्य रु0-7,20,000/-
मालियत रु0- 7,20,000/-
जनरल स्टाम्प रु0-50,500/-
परगना - लखनऊ।

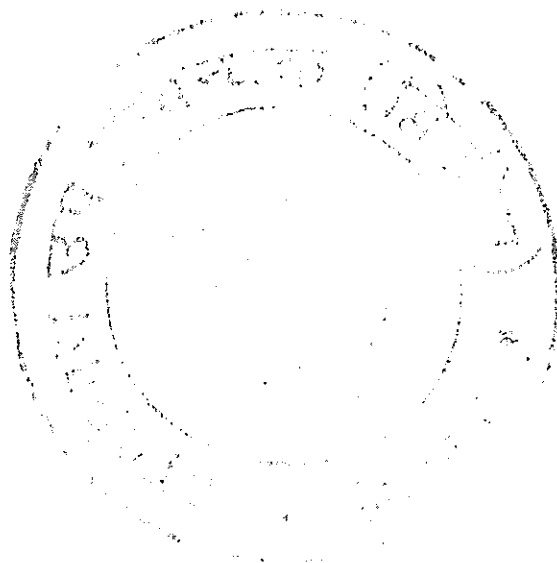
बयनामा

भूमि का प्रकार: - कृषि आराजी
परगना: - लखनऊ
ग्राम: - बाघामऊ (पी कोड-1060)

Amok



कम संख्या 19012
स्टामा विप्रेष की तिथि 20-8-14
स्टामा प्रेष करने की प्रमाणित
स्टामा प्रेष का नाम व पता इ. एन. ए. इ. एन. ए. ए. ए.
स्टामा की संख्या Sa
राजेश कुमार कौट्यार स्वभा विक्रेता
लाइसेंस की संख्या 19012
कलेक्टर काट, लाइसेंस





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 629538

05 AUG 2014

- 2 -

सम्पत्ति का विवरण-

स्थापन की इकाई

सम्पत्ति का क्षेत्रफल-

सड़क की स्थिति :

सम्पत्ति का प्रकार-

- खसरा संख्या-112

- हेक्टेयर

- 0.0900 हेक्टेयर

- फेजाबाद रोड से 5 किलोमीटर से

अधिक दूर।

- ऋषि आरार्जी

चौहद्दी

पूरब: - खसरा संख्या-113

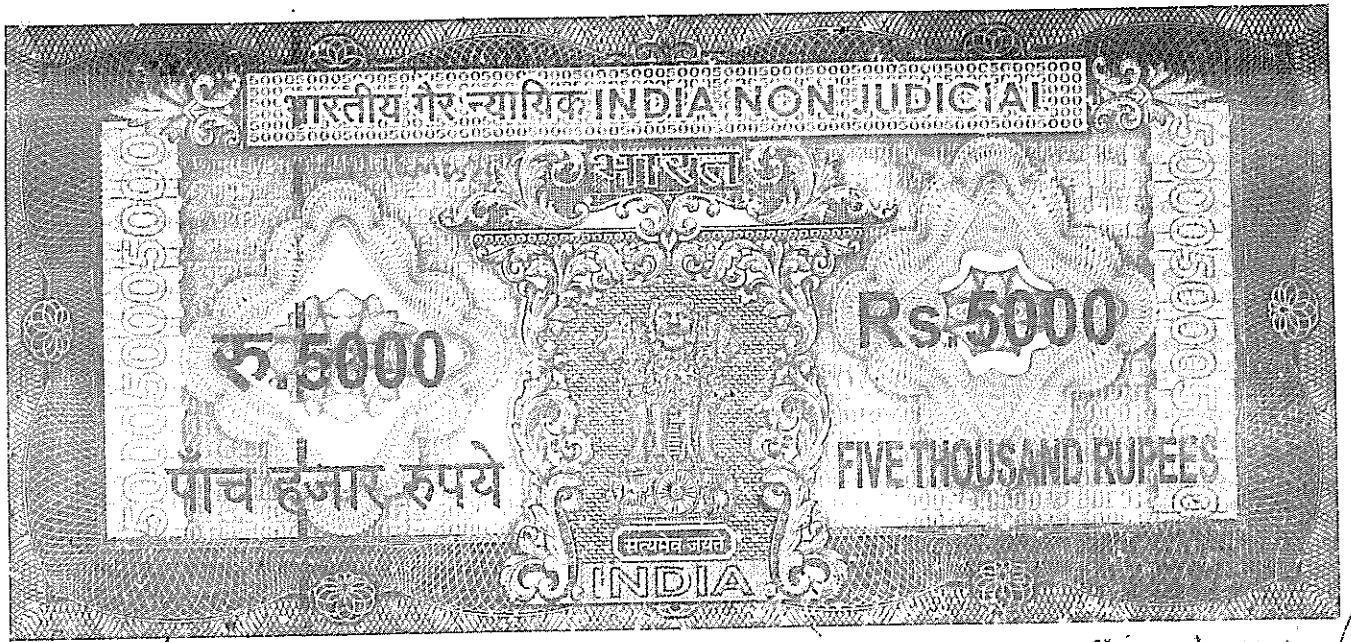
पश्चिम: - चकमार्ग

उत्तर: - खसरा संख्या-111

दक्षिण: - खसरा संख्या-118

[Signature]

2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 639539

05 AUG 2014

-3-

अशोक कुमार पंजवानी पुत्र स्व० ईश्वर दास
निवासी-3/29, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

.....विक्रेता

ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि० स्थित
कार्यालय 144/2, ए०एन०एस० हाउस, II-फ्लोर, आश्रम
मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी
ही०एन०त्रिपाठी पुत्र श्री रामजी त्रिपाठी निवासी-
126/31, वी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ।

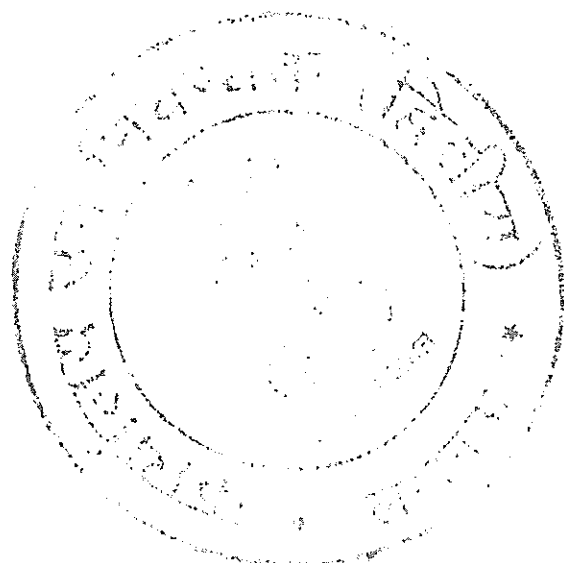
.....क्रेता

Amurk

2

क्रमांक 7019 20-8-14
स्टाम्प विक्रेता की तिथि
स्टाम्प क्रय करने की प्रमाणित
स्टाम्प केला का नाम व पूरा पता ए-एन-एन इलाहाबाद
स्टाम्प की प्रमाणित

राकेश कुमार कटियार स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 32,
लाइसेंस की अवधि 31-03-2015
कलेक्टर कोट, जयपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 597951

05 AUG 2014

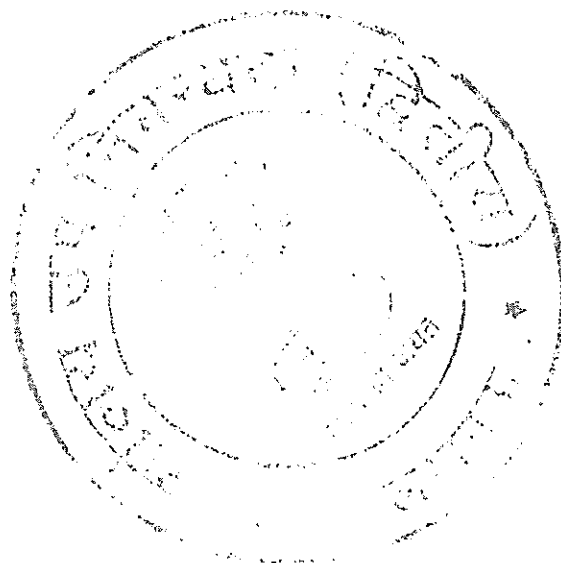
- 4 -

जो कि भूमि खसरा संख्या-112 रकबा 0.0900 हेक्टेयर स्थित ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ जिसका विक्रेता उपरोक्त मालिक कामिल व काबिल है। उक्त भूमि को विक्रेता ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख श्रीमती मेनका गिरी पत्नी श्री सिद्धार्थ गिरी निवासिनी-सी-2221, अरावली मार्ग, इन्दिरा नगर, लखनऊ क्रय किया था जो कि उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय, लखनऊ में दिनांक 25.04.2012 को बही संख्या-1 जिल्द संख्या-12425 के पृष्ठ संख्या-249 से 276 पर क्रमांक-7212 पर पंजीकृत है तथा उक्त भूमि को श्रीमती मेनका गिरी ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख सरदार सन्तोष सिंह पुत्र सरदार मोहन सिंह निवासी-ए-217, एच.ए.एल. कालोनी,

Amul

12

George W. Coker





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 597952
25 MAY 2004

- 5 -

फैजाबाद, लखनऊ क्रय किया था जो कि उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय, लखनऊ में दिनांक 01.06.2007 को वही संख्या-1 जिल्द संख्या-6672 के पृष्ठ संख्या-359 से 392 पर क्रमांक-5411/07 पर पंजीकृत है, जिसका दाखिल खारिज हो चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी में विक्रेता का नाम दर्ज है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों व विवादों अजकिस्म रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल है। अब विक्रेता ने बजरूरत खुद खूब सोच व समझ कर प्रसन्न चित्त मन से दिना किरी जोर दबाव नाजायज के, अपने पूर्ण होशो हवास में विक्रेता के

[Signature]

[Signature]

प्रम संख्या 21316

स्टाम विक्रय करने की तिथि

स्टाम क्रय करने का प्रमाणित

स्टाम क्रय का नाम व पूरा नाम

स्टाम की फरसि

मोहम्मद सादतुल्लाह स्टाम विक्रेता

लाइसेंस नं-24

लाइसेंस की अवधि 31-3-2015

कलेक्टर कार्यालय, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 597953

-6-

हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को बिलएवज मुबलिय रुपये
7,20,000/- (सात लाख बीस हजार रुपये) जिसके आधे
रुपये 3,60,000/- (तीन लाख साठ रुपये) होते हैं, में
बदस्त ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 स्थित
कार्यालय 144/2, ए0एन0एस0 हाउस, II-फ्लोर, आश्रम
मथुरा रोड, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी
डी0एन0त्रिपाठी पुत्र श्री रामजी त्रिपाठी निवासी-
126/31, वी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ को बय कतई
किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय धनराशि अन्त में
दिये गये विवरण के अनुसार क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व
दखल कालिकाना आगजी विक्री शुद्ध पर आज से बजाय

Amul

D

सं. १०६७३

दिनांक २१/३/१२ २१-३-१४

सदस्य विभाग के विधि

सदस्य विभाग के विधि

सदस्य विभाग के विधि

सदस्य विभाग के विधि

सदस्य विभाग के विधि

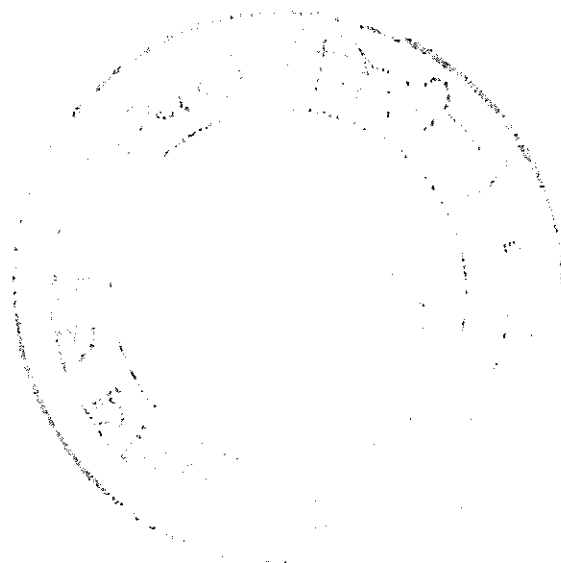
सदस्य विभाग के विधि

सदस्य विभाग के विधि

सदस्य विभाग के विधि

ए ल ए ल ए ल ए ल ए ल

ए





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 623785

क्र. 1	को. 1	को. 2	को. 3	को. 4	को. 5	को. 6	को. 7	को. 8	को. 9	को. 10	को. 11	को. 12	को. 13	को. 14	को. 15	को. 16	को. 17	को. 18	को. 19	को. 20	को. 21	को. 22	को. 23	को. 24	को. 25	को. 26	को. 27	को. 28	को. 29	को. 30	को. 31	को. 32	को. 33	को. 34	को. 35	को. 36	को. 37	को. 38	को. 39	को. 40	को. 41	को. 42	को. 43	को. 44	को. 45	को. 46	को. 47	को. 48	को. 49	को. 50	को. 51	को. 52	को. 53	को. 54	को. 55	को. 56	को. 57	को. 58	को. 59	को. 60	को. 61	को. 62	को. 63	को. 64	को. 65	को. 66	को. 67	को. 68	को. 69	को. 70	को. 71	को. 72	को. 73	को. 74	को. 75	को. 76	को. 77	को. 78	को. 79	को. 80	को. 81	को. 82	को. 83	को. 84	को. 85	को. 86	को. 87	को. 88	को. 89	को. 90	को. 91	को. 92	को. 93	को. 94	को. 95	को. 96	को. 97	को. 98	को. 99	को. 100
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

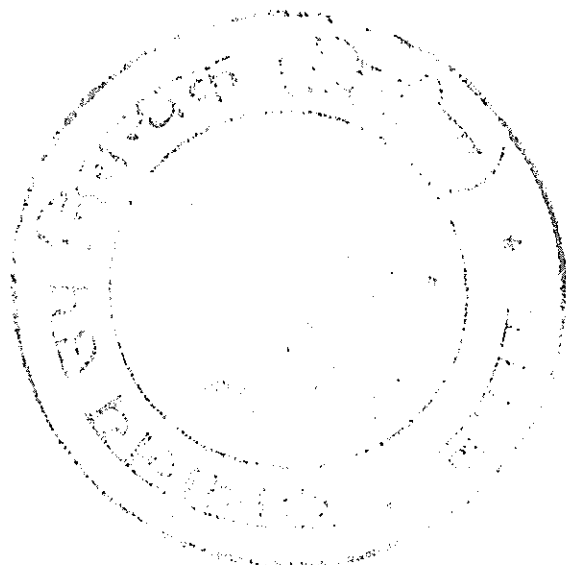
- 7 -

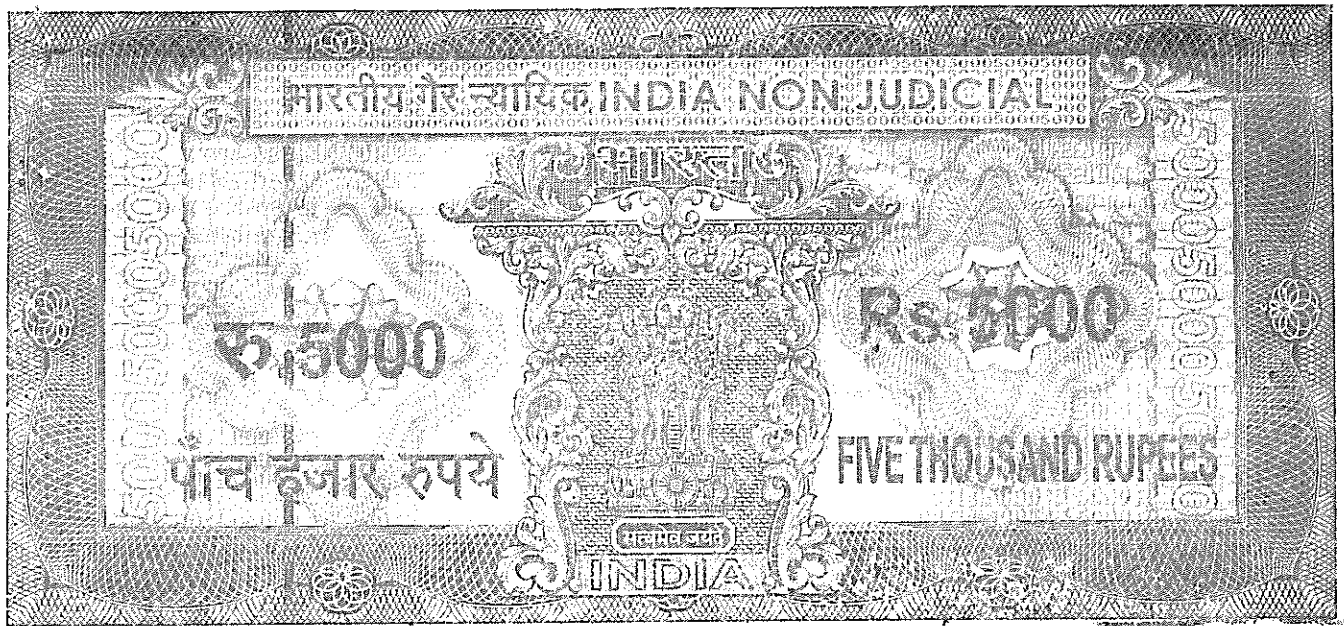
अपने क्रेता का बखूबी करा दिया। अब विक्रेता को अपने
वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा
विक्रीशुदा आराजी में शेष नहीं रहा। अब अगर कोई दीगर
शख्स अपना हक या दावा करे तो दावा उसका वातिल व
मोझायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की
दावेदारी या हकदारी या इज्जदारी से आराजी विक्रीशुदा क्रेता
के कब्जे से निकल जावे या कब्जा न रहे या मिल्कियत या
हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी
प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी
तमाम सूरतों में क्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकामान
को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य मय
हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम

[Signature]

[Signature]

31-3-2016 कलेक्टर लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 623784

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कोषागार से जारी
12 AUG 2014
स. को. म./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
1001 नं. ४

- 8 -

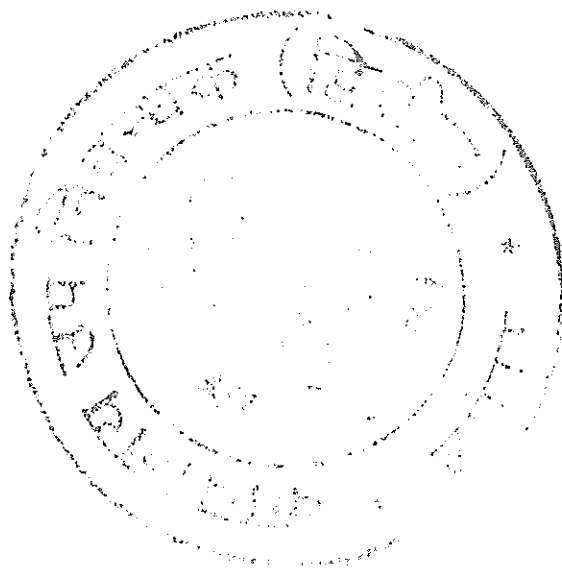
मुकामान की दीगर जायदाद चल व अवल से न्यायालय द्वारा प्रसूल कर लेवे कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी को क्रेता कागजात सरकारी में अपने नाम दर्ज करवा जेवें, इसमें विक्रेता को कोई उज्र नहीं होगा।

विक्रीशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसकी बाजारी मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ द्वारा निर्धारित वर्तमान दर रुपये 80,00,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रीशुदा आराजी रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि की मालियत रुपये 7,20,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य व बाजारी मालियत बराबर है, इसलिये बाजारी मालियत पर

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

31-3-2016 कलेक्टर लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 623783

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या स0 वि0 कं0 नि0 -5-2756/ 11/ 2008- 500 (165) 2007 दिनांक 30.6.2008 के अनुसार नियमानुसार जनरल स्टाम्प 7 प्रतिशत के हिसाब से रुपये 50,400/- का अदा किया गया है।

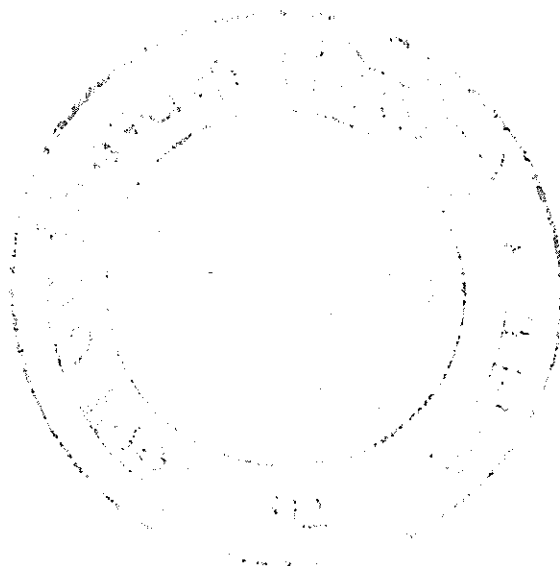
आराजी विक्रीशुदा का भूमि उपयोग कृषि है। आराजी विक्रीशुदा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय रोड व लिंकमार्ग के किनारे स्थित नहीं है आराजी विक्रीशुदा पर कोई भी पेड़, बाग, बगीचा, ट्यूबवेल, निर्माण, कुआं आदि नहीं है तथा ऊक्त आराजी की 200 मीटर त्रिज्या में कोई

Amish

2

क्रमांक 1999 दिनांक 21/11/15
प्रयोजन 21 श्रीपति 21
नाम 21-05-020-3 वल्लभ 21
पता 21

प्रदीप कुमार सिंह ल० नं० 74
31-3-2016 कलेक्टर बखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 598890

0 5 NOV 2014

- 10 -

आबादी नहीं है। आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। उक्त भूमि तखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद द्वारा या अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी योजना में अधिगृहीत नहीं है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थाई व अस्थायी पता उपरोक्त ही है। विक्रीशुदा आराजी मुख्य सड़क फैजाबाद रोड से 5 किलोमीटर से भी अधिक दूर है।

इस विक्रय विलेख में वर्णित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त तथ्य व अभिलेख विक्रेता व क्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। उन्ही तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर यह

Amish

D

क्रमांक 8762 दिनांक 21.0.14
परिपत्र कीमत 30000/-
नाम 22-10-2014
पता

परिपत्र दिनांक 28/3/2015
कलेक्टर कोर्ट लखनऊ

विक्रय पत्र

720,000.00 / 720,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

प्रतिफल गालियन

फॉर्म रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

बॉग

शब्द लगभग

श्री अशोक कुमार पंजवानी

पुत्र श्री स्व० ईश्वर दास

व्यवसाय व्यापार

निवासी ग्यारी 3/29 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/8/2014 समय 12:41PM

वज्र निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामेश कुमार (प्रभारी)

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

22/8/2014

निष्पादन लेखपत्र बाढ मुने व मनजन मजमून व पात्र धनगति रु. फलैखानुसार उक्त

विक्रयता

केता

श्री अशोक कुमार पंजवानी

पुत्र श्री स्व० ईश्वर दास

पेशा व्यापार

निवासी 3/29 विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ

ए०एन०एस० डे०प्रा०लि० द्वारा अधि०हस्० डी०एन०

त्रिपाटी

पुत्र श्री रामजी त्रिपाटी

पेशा व्यापार

निवासी 126/31 वी०एन० गेड लालबाग लखनऊ

ने निष्पादन ग्रीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शत्रोहन लाल एडवो०

कले० कोर्ट लखनऊ

पेशा वकालत

निवासी

श्री सर्वजीत

पुत्र श्री वंशीलाल

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम पूरेशीलाल पो० पूरे चन्दमन तह० हैदरगढ़ जिला

ने की।

पञ्चक्षेत्र भद्र गतिवों के निशान अंगुष्ठ निम्नानुसार विनय गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामेश कुमार (प्रभारी)

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

22/8/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 473921

22 JUL-2014

- 11 -

विक्रय विलेख तैयार किया गया है। जिसमें अधिवक्ता व ठाढ़पकर्ता की कोई जिम्मेदारी उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित नहीं है। विक्रेता व क्रेता के फोटो उपलब्ध कराये गये परिचय पत्रों व गवाहों द्वारा की गयी पहचान के आधार पर ही प्रमाणित किये गये हैं।

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई बहक क्रेता उक्त के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

[Signature]

[Signature]

क्रमांक 8760 दिनांक 24-11-14
प्रयोजन कोषांत
नाम श्री एन पी समुदाय
पता

अविभाजित हिंदू धर्म 23-11-2019
कलकत्ता नगर नगरपालिका

विक्रेता

Registration No.: 13828

Year: 2014

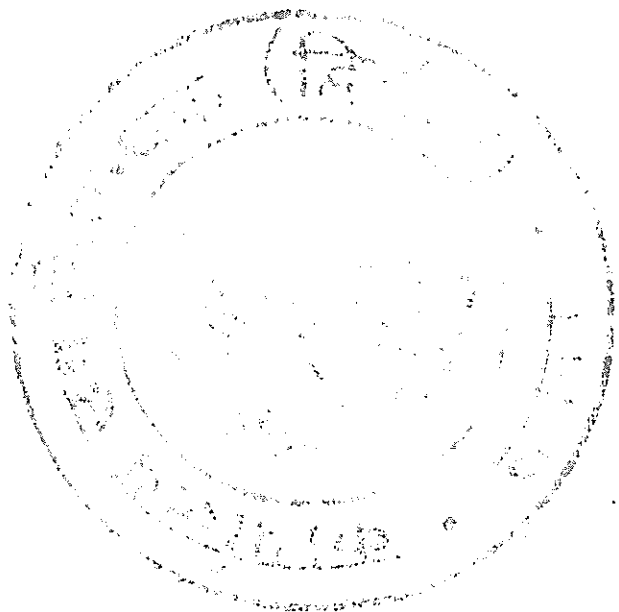
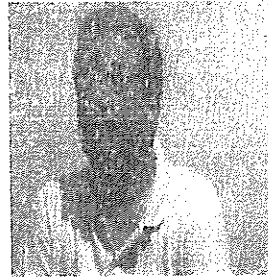
Book No.: 1

0101 अशोक कुमार पंजवानी

रक्त ईश्वर द्वारा

3/29 विपुल खण्ड गोगती नगर जखनऊ

व्यापार



विवरण आराखी विक्रीशुदा

भूमि खसरा संख्या-112 रकबा 0.0900 हेक्टेयर स्थित
ग्राम बाघामऊ, परगना तहसील व जिला लखनऊ।

तफसील बसूलयाबी विक्रय धनराशि

कुल विक्रय मूल्य रुपये 7,20,000/- (सात लाख बीस
हजार रुपये) जरिये चेक संख्या- 000280 दिनांक 12.08.
2014 डी.सी.बी. बैंक शाखा शालीमार टावर गौमती नगर
लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ
भी पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ :

दिनांक :-22.08.2014

गवाह 1-

श्रीगोहन लाल

पता-

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

विक्रेता

गवाह 2-

सुवेजीत S/o जैश्रीलाल

पता-

ग्राम पूरे शीतल
पोस्ट पूरे चतुपन
जिला आराखी

क्रेता

दर्शककर्ता

(ए0आर0वर्मा)

जिला कचहरी लखनऊ ।

मसविदाकर्ता

(श्रीगोहन लाल)

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ।

मो0जं0-9838275640

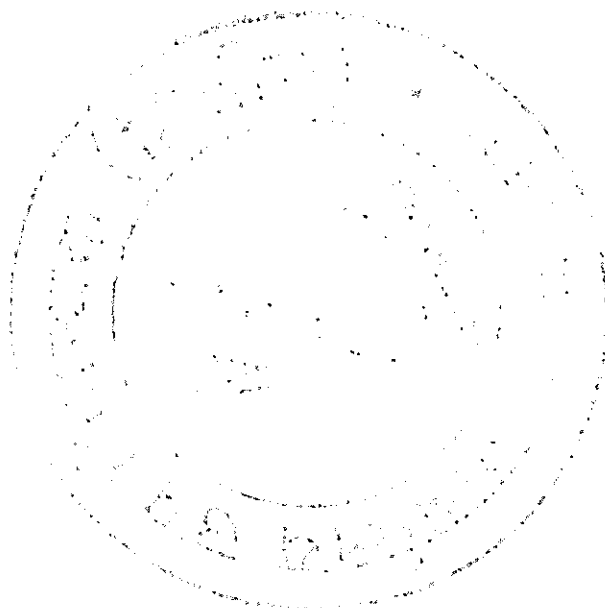
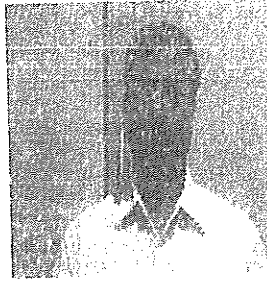
केरल

Registration No : 13828

Year : 2014

Book No. : 1

0201 ए०एन०एस० डे०प्रा०लि० द्वारा अधि०हर० डी०एन० त्रिपाठी
समर्पण त्रिपाठी
126/31 डी०एन० रोड लालबाग लखनऊ
व्यापार



नजरी - नक्शा (कृषि भूमि)

भूमि स्थित ग्राम- बाघास

परगना नं

तहसील

व

जिला लखनऊ।

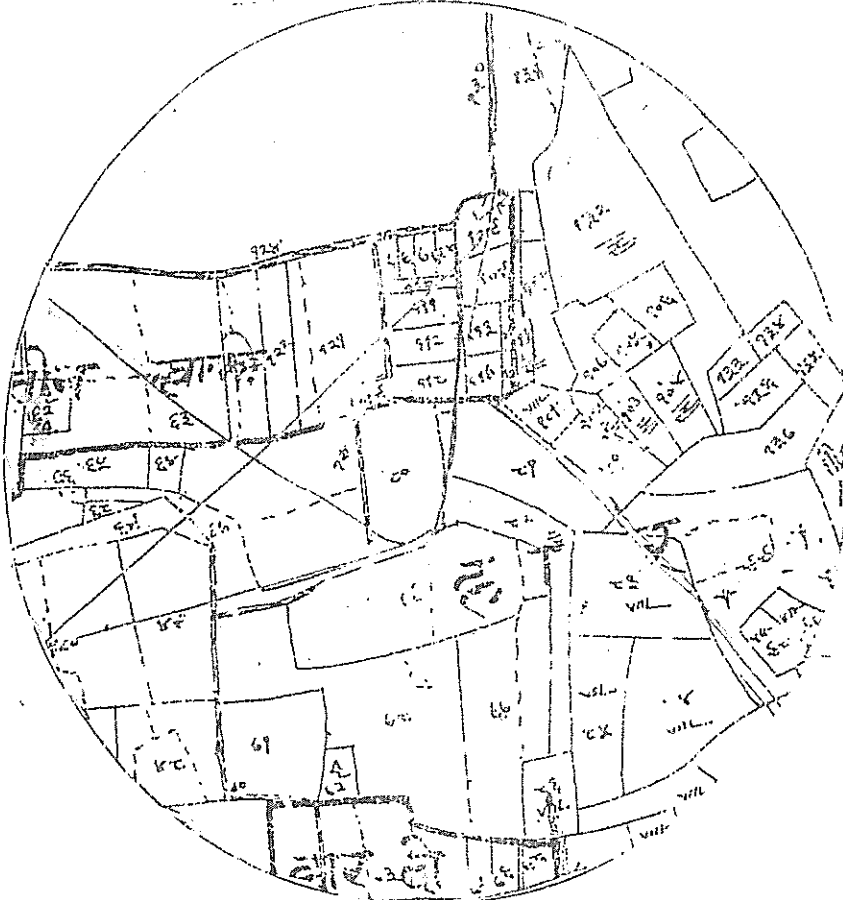
खसरा संख्या-

॥ 2

रकबा -

0.0900 हेक्टेयर

200 मीटर की त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त
परिमाणविकों का वितरण



हस्ताक्षर विक्रेता

[Signature]

हस्ताक्षर क्रेता

[Signature]

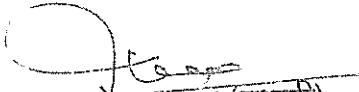
आज दिनांक 22/08/2014 को

वर्ही सं 1 जिल्द सं 15721

पृष्ठ सं 303 से 328 पर क्रमांक 13828

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेश कुमार (प्रभारी)

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

22/8/2014

